भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 34**

**02 फरवरी, 2022 के लिए प्रश्न**

**न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**34. डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:**

**श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:**

**डॉ. उमेश जी. जाधव:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लंबित और वर्तमान दावों के निपटान के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और एमएसपी के लंबित और मौजूदा दावों को निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क) और (ख):** केन्द्रीय पूल अर्थात केन्द्रीकृत (गैर-डीसीपी) खरीद प्रणाली और विकेन्द्रीकृत (डीसीपी) खरीद प्रणाली के लिए गेहूं एवं धान की दो प्रकार की खरीद प्रणाली है।

केन्द्रीकृत (गैर-डीसीपी) खरीद प्रणाली के अंतर्गत, केन्द्रीय पूल में गेहूं और धान की खरीद को एफसीआई द्वारा सीधे ही अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों (एसजीए) द्वारा खरीदा जाता है। राज्य सरकार की एजेंसियों (एसजीए) द्वारा की गई खरीद को भंडारण हेतु एफसीआई को सौंप दिया जाता है और उसके पश्चात् भारत सरकार के लिए जारी किए गए खाद्यान्नों को उसी राज्य में आवंटन अथवा अन्य राज्यों को अधिशेष के संचलन के लिए भेजा जाता है।

विकेन्द्रीकृत (डीसीपी) खरीद प्रणाली के अंतर्गत, राज्य सरकार/उनकी एजेंसियां राज्य में (टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस के लिए भारत सरकार के आवंटन की तुलना में) धान/चावल/गेहूं की खरीद, भंडारण और वितरण करती हैं। राज्य/उनकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए अतिरिक्त स्टॉक (चावल और गेहूं) को केन्द्रीय पूल में एफसीआई को सौंप दिया जाता है।

एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत खाद्यान्नों के वितरण के लिए खाद्य राजसहायता जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। अन्य बातों के साथ-साथ संगत वित्त वर्ष के स्टॉक का अथ शेष और अंत शेष, खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सामंजन, उपयोगिता प्रमाण पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से प्राप्त दावों को प्रोसेस किया जाता है।

**(ग):** महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए खाद्य सब्सिडी के प्रति वर्ष 2019-2020 के दौरान 1920.17 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-2021 के दौरान 2555.74 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-2022 के दौरान 2184.44 करोड़ रुपए (दिनांक 27.01.2022 तक) जारी किए गए थे। राज्य सरकार से खाद्य सब्सिडी का अनंतिम दावा लंबित नहीं है।

कर्नाटक राज्य सरकार को वर्ष 2019-2020 के दौरान 205.79 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-2021 के दौरान 323.99 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-2022 के दौरान 340.28 करोड़ रुपए (दिनांक 27.01.2022 तक) जारी किए गए। राज्य सरकार से प्राप्त खाद्य सब्सिडी के दो अनंतिम दावों की जांच की जा रही है।

*****